## F. No. M-03013/18/2021-CDD (E-20926) Government of India Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Department of Animal Husbandry and Dairying

Room No. 491, Krishi Bhawan, New Delhi. Date: 20th Feb, 2025

To,

All Officers under the Central Government/State Governments/Union territories administration or Agricultural Universities or recognized research institutions or councils /Public Sector Undertakings or semi-Government or autonomous or statutory organizations.

Subject:-

Filling up of one post of Assistant Commissioner (Dairy Development) (Pay Band-3 Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.6600/-)(pre-revised) revised to Pay Level- 11 in the Department of Animal Husbandry and Dairying & Fisheries by deputation including short term contract basis - regarding.

Sir,

I am directed to state that it is proposed to fill up one post of Assistant Commissioner (Dairy Development) (Pay Band-3 Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.6600/-)(pre-revised) revised to Pay Level- 11 (Rs. 67,700 - 2,08,700/-) in the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries by deputation including short term contract basis. The mode of selection and the educational qualification for the post are as under:

Transfer on deputation: Officers under the Central Government/State Governments/Union territories administration or Agricultural Universities or recognized research institutions or councils /Public Sector Undertakings or semi-Government or autonomous or statutory organisations:

- (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or
  - (ii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4600/- (pre revised) or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (B) Possessing educational qualifications and relevant experience as prescribed for direct recruitment as under:

## Qualifications:

#### Essential:

- Degree in Dairy Science or Dairy Technology of four years duration from a recognized (i) University or Institute.
- Five years' experience as Technical Officer or Dairy Technologist or Assistant (ii) Production Manager or Production Manager in a dairy plant or as Deputy Manager or Manager in a Milk Federation or Union.

Master's Degree in Dairy Science or Dairy Microbiology from a recognized University or Institute.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputations shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of Deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 (fifty six) years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: Education qualifications and experience are relaxable at the discretion of recruitment agency/selection committee for the reasons to be recorded in case of candidates otherwise well

Note 5: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January.2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where the benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Page 1 of 5

**Duties assigned with the post** 

- i. Assist the policy framework for Dairy Development as a whole for the country like Stakeholder consultation, preparation of EFC, CCEA and Cabinet Note for Dairy Development scheme including Research and Development activities/labs., in dairy sector and also international collaboration R & D projects with institutions like World Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA) etc.
- Providing technical consultation to line Ministry/Departments for dairy Dev. matters.
- iii. Assist in Implementation and Monitoring of Dairy Development schemes through NDDB, NABARD and State Govt. Agencies including techno-economic evaluation for feasibility assessment of the project proposals submitted for various dairy development activities.
- Assist in technical and scientific work for preparation of Standards for milk, milk products and Dairy Equipment with Bureau of Indian Standards (BIS).
- v. Coordination of technical work with Food Safety Standards Authority of India (FSSAI), Food Safety Emergency Response (FSER) system, and other such regulatory organizations on behalf of Government of India.
- vi. Parliament Questions on the subject of Dairy sector and preparation of replies,
- vii. Technical issues of Delhi Milk Scheme.
- viii. Dealing with International Scientific bodies/Institutions like Food and agriculture Organization (FAO) on policy, WTO/Technical barrier to trade (TBT), Codex Alimentarius Commission and International Dairy Federation (IDF) e.t.c,in the matters of milk and milk products.
- ix. Examination of applications received for import of milk and milk products for issuing Sanitary Import Permit under Livestock importation Act 1998 and S.P.S Measures.
- x. Any other technical and scientific matters pertaining to dairy Sector and as assigned by higher Authority from time to time.
- 2. The pay of the officers selected for appointment will be regulated in accordance with the instructions contained in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M. No.15(7)/10/86 dated 13<sup>th</sup> March, 1987 or such general/special orders issued or that may be issued by the Ministry from time to time. The applicants who had applied for this post earlier need not to apply again. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (Duty) allowance or to have his pay fixed in the Pay Band and Grade Pay of the post in accordance with the DOPT OM NO. 2/12/87 Estt.(Pay-II) dated 29-1-88 as amended from time to time.
- 3. Application(s) through proper channel, in the enclosed proforma along with the complete up-to-date ACR dossier of officers who are willing to be considered and can be spared, in the event of their selection, may be sent to this Department. While forwarding applications, it may be verified and certified that particulars furnished by the candidates are correct and no vigilance case is either pending or contemplated against them and their integrity is beyond doubt. Applications should reach this Department within 60 days from the date of this circular or publication of advertisement in the Employment News/RozgarSamachar whichever is later. Applications received after the due date or found incomplete will not be considered.

Yours faithfully,

(Sanjay Kumar)

Under Secretary to the Government of India

Copy with enclosures forwarded to :-

Secretary, all Ministries /Departments of Government of India.

2. The Secretary D/o Animal Husbandry & Dairying (All State Govt. and UTs)

3. Director, National Dairy Research Institute Karnal, Haryana.

Page 2 of 5

4. The Registrar, All State Agriculture/Dairy Science College /Universities.

5. The Managing Directors of All State Cooperative Milk Federations/District Milk Unions.

6. General Manager, Delhi Milk Scheme, West Patel Nagar, New Delhi.

All Subordinate/Attached offices of this department.

8. DDG (Animal Science) Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

9. Guard file/Spare copies

10. NIC for uploading on Department Website

11. Under Secretary, Admn.I, DADF

20/02/25 (Sanjay Kumar)

Under Secretary to the Government of India

## **BIO-DATA PROFORMA**

1.	Name and Address :						
2.	Date of Birth						
3.	Date of Retirement under Central/S				Govts. :		
4.	Are satisf As equiva	fied. If an alent to th authority	ication required to the control of the same QUIRED	on has be cribed in the ne.	en treated		
<ol> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol>	entries m requirem	ent of the	y whether in ou above, y post. Yes/ date from v	ou meet th No.	ie		
- FT 16	Details of fice/Instt./ ganization	Post held	rent, in chr	onological To	Pay Band and Grade Pay	Whether temporary, ad-hoc or regular	Nature of duties
8.	deputation (a) The do (b) Period	on/contract late of inited of appointment	nt employment basis, ple tial appointr intment on t office/orga	ase state nent deputatior			
9.	Whether belongs to SC/ST/OBC			ВС	1:1		
10.	Present Postal address					1	
11.							

# DECLARATION

I do hereby declare that the particulars furnished by me above are correct to the best of my knowledge.

Date:	Signature of the candidate
	Certificate to be furnished by the Employer/Cadre controlling Authority
by the	It is Certified that the information/details provided in the above application by Shri/Smt/Kumare True and correct as per the facts available ords. He/she possesses qualifications prescribed in the vacancy circular. If, d, he/she will be relieved immediately.
Also ce	ertified that:-
1.	There is no vigilance case pending/contemplated against Shri/Smt/Kum
11. 111.	His/her integrity is Certified.  His/her complete CR dossiers in regional /photocopies of CR Dossiers of last 5 years duly attested (on each page) by an officer of the rank of Under Secretary of Govt. of India or above are enclosed.
IV.	Secretary of Govt. of India or above are enclosed.  No major/minor penalties have been imposed on him/her during the last 10 years/list of major/minor penalties imposed on him/her during the last 10 years is enclosed(as the case may be).
Date:	
Place	Signature Name & Designation

With Seal.....

# फा. सं. एम-03013/18/2021-सीडीडी (ई-20926) भारत सरकार मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पशुपालन और डेयरी विभाग

\*\*\*\*

कमरा सं. 491, कृषि भवन, नई दिल्ली। दिनांक: 20 फरवरी, 2025

सेवा में,

केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वायत या सांविधिक संगठनों के अंतर्गत सभी अधिकारी।

विषय:- पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में सहायक आयुक्त (डेयरी विकास) (पे बैंड-3 15600-39100 रु.+ ग्रेड पे 6600/- रु.) (पूर्व संशोधित) के एक पद को वेतन लेवल-11 में संशोधित करके अल्पावधि संविदा आधार पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भरने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में **सहायक आयुक्त** (डेयरी विकास) (पे बैंड-3 15600-39100 रु.+ पे बैंड 6600 रु./-) (पूर्व संशोधित) वेतन लेवल-11 (रु 67,700 - 2,08,700/-), संशोधित, में एक पद को अल्पाविध संविदा के आधार पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भरने का प्रस्ताव है। पद के लिए चयन का तरीका और शैक्षिक अर्हता निम्नानुसार है:

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरणः केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वायत या वैधानिक संगठनों के अधिकारीः

- (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारण किए हए हों; या
  - (ii) मूल कैडर या विभाग में पे बैंड-2, 9300-34800/- रु. तथा ग्रेड पे 4600/- रु. (पूर्व संशोधित) या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में सात वर्ष की सेवा की हो; तथा
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और संगत अनुभव जो सीधी भर्ती के लिए है, धारित करते हों: अर्हता:

## आवश्यक:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डेयरी विज्ञान या डेयरी प्रौद्योगिकी में चार वर्ष की अविध की डिग्री।
- (ii) डेयरी में तकनीकी अधिकारी या डेयरी प्रौद्योगिकीविद् या सहायक उत्पादन प्रबंधक या उत्पादन प्रबंधक के रूप में या किसी दुग्ध परिसंघ या संघ में उप प्रबंधक या प्रबंधक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।

#### वांछित:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डेयरी विज्ञान या डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में परास्नातक डिग्री। नोट 1: फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

नोट 2: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 4: अन्यथा अर्ह उम्मीदवारों के मामले में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए भर्ती संस्था/चयन समिति के विवरण पर शैक्षिक अर्हता और अनुभव में छूट दी जा सकती है।

नोट 5: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, जिस तारीख से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित संगत ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय उस स्थिति के जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड पे/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हो गया हो, और जहां लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

पद से संबद्ध कर्तव्य

- पूरे देश में समग्र रूप से डेयरी विकास के लिए नीतिगत ढांचे में सहायता करना जैसे कि हितधारक परामर्श, डेयरी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों/प्रयोगशालाओं सहित डेयरी विकास योजना के लिए ईएफसी, सीसीईए और कैबिनेट नोट तैयार करना और विश्व बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) आदि जैसे संस्थानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं।
- डेयरी विकास मामलों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना।
- iii. एनडीडीबी, नाबार्ड और राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से डेयरी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता करना, जिसमें विभिन्न डेयरी विकास कार्यकलापों के लिए प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की व्यवहार्यता आकलन हेतु तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन भी शामिल है।
- iv. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ दूध, दूध उत्पादों और डेयरी उपकरणों के लिए मानक तैयार करने हेतु तकनीकी और वैज्ञानिक कार्य में सहायता करना।
- v. भारत सरकार की ओर से भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), खाद्य सुरक्षा आपातकालीन प्रतिक्रिया (एफएसईआर) प्रणाली और अन्य ऐसे नियामक संगठनों के साथ तकनीकी कार्य का समन्वय।
- vi. डेयरी क्षेत्र के विषय पर संसदीय प्रश्न और उत्तरों को तैयार करना,
- vii. दिल्ली दूध योजना के तकनीकी मुद्दे।
- viii. दूध और दूध उत्पादों के मामलों में नीति, डब्ल्यूटीओ/व्यापार में तकनीकी बाधा (टीबीटी), कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन (आईडीएफ) आदि पर खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) जैसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक निकायों/संस्थाओं के साथ काम करना।
- ix. पशुधन आयात अधिनियम 1998 और एस.पी.एस. उपायों के तहत स्वच्छता आयात परमिट जारी करने के लिए दूध और दूध उत्पादों के आयात के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच।
- x. डेयरी क्षेत्र से संबंधित कोई अन्य तकनीकी और वैज्ञानिक मामले तथा समय-समय पर उच्च प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए मामले।

- 2. नियुक्ति के लिए चुने गए अधिकारियों का वेतन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 13 मार्च, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15(7)/10/86 में निहित निर्देशों या मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऐसे सामान्य/विशेष आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। जिन आवेदकों ने पहले इस पद के लिए आवेदन किया था, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। चयनित अधिकारी के पास अपना ग्रेड वेतन सह प्रतिनियुक्ति (इ्यूटी) भता लेने या समय-समय पर संशोधित डीओपीटी के दिनांक 29-1-88 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/12/87 स्थापना (वेतन-॥) के अनुसार पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में अपना वेतन निर्धारित करने का विकल्प होगा।
- 3. आवेदन उचित माध्यम से, संलग्न प्रपत्र में तथा ऐसे अधिकारियों की पूर्ण अद्यतन एसीआर डोजियर, विचार किए जाने के इच्छुक तथा जिन्हें चयन की स्थिति में कार्यभारमुक्त किया जा सकता है, इस विभाग को भेजे जा सकते हैं। आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय, यह सत्यापित तथा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है तथा उनके विरुद्ध कोई सतर्कता मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है तथा उनकी संदेह से परे है। आवेदन पत्र इस परिपत्र की तिथि से या इप्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से जो भी बाद में हो, 60 दिनों के भीतर इस विभाग में पहुंच जाने चाहिएं। नियत तिथि के बाद प्राप्त या अपूर्ण पाए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

(संजय कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को प्रेषित:-

- 1. सचिव, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- 2. सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग (सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र)
- 3. निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा।
- 4. रजिस्ट्रार, सभी राज्य कृषि/डेयरी विज्ञान महाविद्यालय/विश्वविद्यालय।
- 5. सभी राज्य सहकारी दुग्ध परिसंघों/जिला दुग्ध संघों के प्रबंध निदेशक।
- 6. महाप्रबंधक, दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली।
- 7. इस विभाग के सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय।
- 8. उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
- 9. गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां
- 10. विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी

11. अवर सचिव, प्रशासन ।, डीएडीएफ

(सजय कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव

## बायो-डेटा प्रोफ़ॉर्मा

- 1. नाम और पता
- 2. जन्मतिथि
- केंद्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत सेवानिवृति की तिथि
- 4. पद के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हता :
  यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित अर्हता के समकक्ष माना गया है, तो उस प्राधिकरण का नाम बताएं उसका उल्लेख प्राधिकारी से करें।

अपेक्षित अर्हता	अधिकारी की अर्हता/अनुभव
SIGNATURE SIGNATURE	

- कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आपके द्वारा ऊपर दी गई प्रविष्टियों के आधार पर आप
   पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। हां/नहीं।
- 6. वर्तमान धारित पद, धारण की तिथि वेतन मान: और ग्रेड वेतन।

ग्रेजगार का विवरण, कालानुक्रमिक रूप में:

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	कब से	कब तक	वेतन मान और ग्रेड वेतन	अस्थाया, तदर्थ या नियमित	कार्य प्रकृति	की
		-					

- 8. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है, तो कृपया निम्नलिखित बताएं
  - (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि
  - (ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि
  - (ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम
- 9. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं:
- 10. वर्तमान डाक पता
- 11. टिप्पणी, यदि कोई हो

### घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वार	दिया गया उपरोक्त विवरण मे	री जानकारी के अनुसार सही
है।		

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ...... द्वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी/विवरण अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य एवं सही है। उनके पास रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित अर्हताएं हैं। यदि उनका चयन होता है, तो उन्हें तत्काल कार्यभारमुक्त कर दिया जाएगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:-

- श्री/श्रीमती/कुमारी..... के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।
- II. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।
- III. उनकी पिछले 5 वर्षों की पूर्ण सी.आर. डोजियर मूल रूप में/ सी.आर. डोजियर की छाया प्रतियां (प्रत्येक पृष्ठ पर) भारत सरकार के अवर सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा सत्यापित करके संलग्न हैं।
- IV. पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी/छोटी शस्ति/ जुर्माना नहीं लगाई गई है/पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई बड़ी/छोटी शस्ति/ जुर्माना की सूची संलग्न है (जैसा भी मामला हो)।

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर	
नाम और	पदनाम
मुहर	